कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः— 357 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 20 जुलाई, 2023 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय :— **जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पेय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार कि0मी0 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 4.335 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/6274/2020)**

सन्दर्भः— **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 2855/ FP/UK/Road/6274/2020 दिनांक 07.06.2023 व भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/20/2022/एफ0सी0/1325 दिनांक 03.01.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 6452/12—1 दिनांक 08.05.2023 द्वारा उत्तरालेख प्रेषित किया गया था, का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके बिन्दु सं0 02 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण टी0 एन0 गोडावर्मन बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 से पूर्व का प्रकरण होने के कारण इस अवधि से पूर्व सिविल भूमि में निर्मित योजनाओं में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं है। अतः उक्त प्रकरण में तत्समय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों अंतर्गत वन भूमि हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

अतः आग्रह है कि उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियमों के उल्लंघन की कार्यवाही का प्रकरण न होने के सम्बन्ध में पुनः विचार करते हुए आवश्यक दिशा—निर्देश देना चाहें।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

संख्याः— 357 /12—1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।